अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2019 (RCMS 2019/00056) श्री गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू, कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर बनाम तहसीलदार (राजस्व), रावला जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी तहसीलदार, रावला की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया है कि अपीलार्थी सूचना पंजीकृत डाक से चाहता है जबकि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की पंजीकृत डाक की राशि या फीस नहीं भेजी गई है, फिर भी प्रार्थी को सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध करवा दी गई है एवं राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 28 के अन्तर्गत जो फीस पटवारी का रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित है, की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है, किन्तु उसके द्वारा फीस जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

मैने पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, रावला के समक्ष अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2018 को सूचना के अधिनियम 6(3) के तहत 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। विभाग द्वारा समय सीमा में उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील उसके द्वारा पेश की गई है और निवेदन किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 250/– प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 24.12.2018 से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थी को दिलाए जाने एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा राजकीय कार्य में कर्तव्यहीनता/उदासीनता बरतने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये जावे एवं उसे सही एवं पूर्ण रूप से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण किराडू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.12..2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावला से निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. तहसील, रावला के चक 2 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेश दास पुत्र द्वाराका दास ब्राह्मण (ब्यास) की संवत 2074–2075 की जमाबंदी/गिरदावरी की छाया प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें।
2. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 057258 दिनांक 01.01.1994 की छाया प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें। तहसील के क्रमांक टीआरए/2018/849–51 दिनंक 28.11.2018 की छाया प्रति प्रेषित है आप द्वारा आवंटि का नाम गणेश दत्त लिखा गया है जबकि आवंटन आदेश एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 045155 दिनांक 29.08.1992 में गणेशदास पुत्र द्वारकादास ब्राह्मण लिख गया है।

नोट : बिन्दु संख्या 01 व 2 की सूचना समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें। इस हेतु ओर कितनी राशि सन्दाय की जानी है, कृपया पंजीकृत डाक से अवगत करावे। सूचना आपसे संबंधित ना हो तो यथा परक सूचना निकटत्तम संबंधित को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तारित की जाकर प्रति प्रार्थी को देने की व्यवस्था फरमावें। सूचना समय सीमा में उपलब्ध न होने की दशा में प्रार्थी अपीलीय कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

तहसीलदार, रावला ने अपने पत्रांक रीडर/सू.का.अधि./2019/13 दिनांक 11.01.2019 से अपील पत्र का जवाब निम्न प्रकार से दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार निम्नानुसार प्रेषित है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	चाही गई सूचना	रिकॉर्ड अनुसार सूचना
1	तहसील, रावला के चक 2 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेश दास पुत्र द्वाराका दास ब्राह्मण (ब्यास) की संवत 2074—2075 की जमाबंदी/गिरदावरी की छाया प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें।	मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तहसील रावला के चक नं 2 केएलडी के पं.नं. 16/28 सम्वत् 2069 से 2072 जो वर्तमान में चालू जमाबन्दी है। जमाबंदी सेग्रीगेशन होने के कारण नई जमाबंदी तहरीर नहीं हुई है। उक्त चालू जमाबंदी व गिरदावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का अधिनियम अनुसार प्रतिलिपि शुल्क इस प्रकार है : चक 2 केएलडी खाता सं 7 जमाबंदी किता 5—शुल्क 10/— खाता संख्या 38 जमाबंदी किता 20— शुल्क 15/— पं.न 16/28 खसरा गिरदावरी किता 25 शुल्क 30/— कुल राशि 55/— पटवारी हल्का को जमा करवाकर प्रमाणित प्रतिलिपि पटवार कार्यालय से प्राप्त करें।
2	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 057258 दिनांक 01.01.1994 की छाया प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें। तहसील के क्रमांक टीआरए/2018/849—51/28.11.18 की छाया प्रति प्रेषित है आप द्वारा आवंटि का नाम गणेश दत्त लिखा गया है जबकि आवंटन आदेश एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 045155 दिनांक 29.08.92 में गणेशदास पुत्र द्वारकादास ब्राह्मण लिख गया है।	श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद सं 057258 दिनांक 01.01.1994 की छाया प्रति तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के कार्यालय में उपलब्ध होगी। उक्त सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को इस पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन कर दिया गया है। तहसील कार्यालय के पत्रांक टीआरए/2018/849—51 दिनांक 28.11.2018 में आवंटी का नाम गणेशदत्त टंकण भूल के कारण लिखा गया है। जबकि आवंटन आदेश व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 045155 दिनंक 28.08.1992 में लिखा हुआ नाम गणेशदास पुत्र द्वारकादास ब्राह्मण सही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गुंजाईश नही है। **इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार,** रावला द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावला को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर